कार्यालयः— जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 02/2021—22

झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) राज्यादेश सं0 01/दिनांक 07/06/2021 के आलोक में वर्ष 2021—22 में तालाब एवं जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अन्तर्गत जिला पलामू में फार्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0	सामग्री का नाम	अधिकत्तम दर राशि
1	फार्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड (2mm एवं 4mm)	**50/— रू0 कि0लो0**

निविदा की अहर्त्ताएँ निम्नलिखित है :—

1. निविदादाता का नाम — जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।
2. फ्लोटिंग फिश फीड का अग्रधन राशि— 22200/—रू0 मात्र (क्र0 01 में वर्णित नाम से पलामू डालटनगंज में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट)
3. **निविदा प्रपत्र प्राप्ति का स्थान — जिला मत्स्य कार्यालय, पलामू।**
4. **निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय — 07/07/2021 एवं 12 बजे पूर्वाह्न तक**
5. **निविदा खुलने की तिथि एवं समय — 07/07/2021 एवं 02 बजे अपराह्न**
6. निविदा की विस्तृत शर्ते www.palamu.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पटट पर देखा जा सकता है।
7. दिनांक 07/07/2021 को अपराह्न 02 बजे, उपायुक्त, पलामू द्वारा गठित समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जायेगी।**

25/6/21

उप विकास आयुक्त,
पलामू।

कार्यालयः– जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ Formulated Floating Fish Feed (2mm & 4mm) की भौतिक तथा रसायनिक संरचना यथा साईज, प्रोटीन की मात्रा (%में), वसा की मात्रा (%में), फाईबर की मात्रा (%में), विटामिन का प्रकार, मिनिरल मिक्चर का प्रकार, नमी की मात्रा (%में) आहार सपरिवर्तन दर (FCR) Low एवं सेल्फ–लाइफ अधिक होना चाहिए।
2. वर्ष 2020–21 में सफल निविदादाता जो पूर्ण आपूर्ति करने में असफल हुए को वर्ष 2021–22 के निविदा में शामिल नही हो सकेगा।
3. निविदादाता के L-1 दर होने के बावजूद कंडिका–02 का अहर्त्ता नहीं रखने पर L-2 घोषित नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाताओं की पैन नम्बर की अथिप्रमाणित छायाप्रति एवं वाणिज्यकर का पंजीकरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। (PAN Card & IT. Return (2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
5. पूर्व में झारखण्ड, सरकार के सरकारी कार्यालय में फीड आपूर्ति का 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
6. निविदा के साथ सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सामग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत कैमिकल एनालिसिस प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ISO Certified Company का होना चाहिए। Feed Company को Best Aquaculture Certificate (BAP) Certified होना चाहिए।
7. निविदा दो लिफाफा में प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखे जायेगें तथा दूसरे लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। निविदाताओं को निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 22,200/– (बाईस हजार दो सौ) रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया गया हो एवं अधोहस्ताक्षरी के पदनाम नाम से पलामू में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
8. सफल निविदादाता को आहार की आपूर्ति गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहुँचकर करनी होगी। गुणवत्ता के मानदण्डो के अनुसार आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायालय में किसी वाद का दावा नही किया जा सकेगा।
10. निविदादाता को काली सूची में नही होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
11. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः– **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू/दि0. 07/07/2021 अपराह्न 02 बजे होगा।** निविदादाता चाहे तो स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
12. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
13. विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तरण, पलामू जिले के न्यायालय क्षेत्र में ही मान्य होगा।

25/6/21

उप विकास आयुक्त,
पलामू।